राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

ज्येष्ठ 29, सोमवार, शाके 1939–जून 19, 2017
Jyaistha 29, Monday, Saka 1939–June 19, 2017

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 19, 2017

जी.एस.आर.34 :–राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप–धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये अप्रैल 2017 के प्रथम दिन से और पर प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.– राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 के नियम 4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "1 अप्रैल, 2012 या ऐसी वास–सुविधा के उपभोग की तारीख जो भी पश्चातवर्ती हो से 7500/– रुपये प्रति माह गृह किराया भत्ता करने के हकदार होंगे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2017 या ऐसी वास–सुविधा के उपभोग की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, 20000/– रुपये प्रति माह गृह किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 22(1)संसद/2010/पार्ट–4]
राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, June 19, 2017

G.S.R.34 .-In exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative

Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from 1st day of April, 2017.

2. Amendment of rule 4.- In rule 4 of the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, for the existing expression, "Rs. 7500/- per month with effect from 1st April, 2012", the expression "Rs. 20,000/- per month with effect from 1st April, 2017", shall be substituted.

[No. F 22 (1) Sansad/2010 /Part-4]
By Order of the Governor,
Manoj Kumar Vyas,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.